

प्रेषण

श्री अशोक सांगुनी,
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 गंगा रोड, 2 मंजुरा, मुंबई,
 प्रो. वि. वि. नं. दिल्ली ।

दिनांक 17/7 अनुभाग

दिनांक: 29 अक्टूबर, 1997

विषय:- सन्त विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, जगतपुर, बारा, बारा जिला के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के सम्बन्ध में अनुभव-विद्युत प्रमाण पत्र दिने जाने में आ राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनुभव-विद्युत नहीं है :-

संदर्भ:-

अनुभव-विद्युत पर मुझे पत्र मिला था कि सन्त विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, जगतपुर, बारा जिला के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के सम्बन्ध में अनुभव-विद्युत प्रमाण पत्र दिने जाने में आ राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनुभव-विद्युत नहीं है :-

- 1- विद्यालय को संबन्धित सीमाओं का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की पुस्तक खाना में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा (संयोजित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए अर्थ निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से जिला अनुदान को माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के वार्षिक सत्र परिसर से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल फर से इन्टरनल स्कूल सर्टिफिकेट सम्बन्धित नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उस परीक्षा परिसरों के सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्बन्धित हो जायेगी ।
- 5- सेवा शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्रदान किया जायेगा के कर्मचारियों को अनुभव-विद्युत पत्रों तथा अन्य कार्यों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं लिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों को सेवा नहीं कराया जायेगा और उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुभव-विद्युत पत्रों में सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जी भी आयोग उचित संख्या में स्थायी संख्या बनाए रखना करेगा ।
- 8- विद्यमान उन रिक्तों निर्धारित सुचनाओं के द्वारा भरे जाएंगे ।
- 9- उक्त बातों में राज्य सरकार के सुचनाओं के बिना की गई नियुक्तियों को अमान्य या परिष्कृत नहीं किया जाएगा ।

2- उक्त सुनिश्चों का पालन करना संभव है कि कार्यवाही को जल्द करके वही रिक्तें भरवाये जायेंगे कि रिक्तें द्वारा उक्त सुनिश्चों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सुचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सुचनाएं भेजी जायेंगी ।

आदेश,

सहायक सचिव
राज्य सेवा आयोग

पृष्ठ संख्या 111/15-7-1997 दिनांक

प्रतीक संख्या को सुनिश्चित रूप से आयोग के कार्यालय में भेजा जायेंगे ।

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ।
- 2- सहायक सचिव शिक्षा विभाग, बनारस ।
- 3- उच्च शिक्षा विभाग, गोरखपुर ।
- 4- शिक्षा, उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ।
- 5- प्रमुख, संत विद्यामन्दिर दक्षिण रेलवे गोरखपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर ।

आदेश,

(Signature)
सहायक सचिव
राज्य सेवा आयोग